अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
नरेन्द्रसिंह पुत्र टीकमसिंहजी जाति राजपूत निवासी दासपा तह0 भीनमाल जिला जालोर	बनाम	1.ग्राम पंचायत बडगांव 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 93/2023

–:आदेश:– **दिनांक 05.01.2024**

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी हक हुकुको की कृषि आराजी मौजा बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव भू–अभिलेख निरीक्षक शिवगंज, तहसील शिवगंज में स्थित है। मौजा बड़गांव के नया खाता संख्या 97 खसरा नम्बर 736/1 कुल रकबा 1.6835 हेक्टेयर किस्म बंजर भूमि आई हुई स्थित हैं। जो प्रार्थी के नाम से दर्ज है। तथा खसरा नं0 736/3 रकबा 1.5702 हैक्टयर भूमि ग्राम पंचायत बडगांव के नाम से दर्ज है। मौके पर कब्जे को लेकर उक्त दोनों कृषि भूमि में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तहसील शिवगंज के राजस्व रेकर्ड को DILRMP के तहत ऑनलाईन करने के दौरान प्रार्थी की कृषि भूमि कब्जा अनुसार मौके पर तरमीम नहीं की गई है। तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि की मौका स्थिति एवं वर्तमान नक्शा के अनुसार भिन्न भिन्न दर्शा रहा है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड के नक्शे में सही तरमीम नहीं होने से मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में न्यायहित में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज व ग्राम पंचायत बडगांव से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों एवं मौका जांच अनुसार मौजा बड़गांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 736/1 रकबा 1.6835 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना बताया है। मौके पर काबिज अनुसार खातेदारों की वक्त DILRMP के तहत गलत तरमीम हो गई है, खसरा नं0 736/1 को खसरा नं0 736/3 की जगह व खसरा नं0 736/3 को खसरा नं0 736/1 की जगह दर्शाया गया है जो सही नहीं है जबकि पुराने नक्शे लटठे में सही तरमीम की हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। सरपंच, ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा भी उनके जवाब अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान की तरमीम को शुद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की है।

दिनांक 05.1.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता, अप्रार्थी स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज व सरंपच, ग्राम पंचायत, बडगांव ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। तहसीलदार शिवगंज ने प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। साथ ही सरपंच, ग्राम पंचायत बडगांव ने भी उपरोक्त तरमीम को शुद्ध किये जाने पर अपनी सहमति दी है। हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, ग्राम पंचायत बडगांव व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार **मौजा बड़गांव पटवार हल्का बड़गांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 736/1 रकबा 1.6835 हैक्टयर व खसरा नं0 736/3 रकबा 1.5702 हैक्टयर भूमि** की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 17
दिनांक 05.01.2024

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)